

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/(से.नि.-4124-1)/2017/

दिनांक :

आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नामों के सम्मुख अंकित जन्म तिथियों के आधार पर 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख तिथियों से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क.स.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	से.नि. तिथि
1.	श्री कमलेश कुमार लिपिक ग्रेड-द्वितीय	सामुदायिक स्वा. केन्द्र, मित्रपुरा, सवाईमाधोपुर	17.10.1957	31.10.2017
2.	श्री घीसू खॉ, लिपिक ग्रेड-द्वितीय	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पण्डेर, भीलवाडा।	14.02.1958	28.02.2018
3.	श्री रमेश चन्द्र लिपिक ग्रेड-प्रथम	सामुदायिक स्वा. केन्द्र, छोटा डूंगरा, बांसवाडा।	03.02.1958	28.02.2018
4.	श्री दलाराम पटेल, लिपिक ग्रेड-प्रथम	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सराडा, उदयपुर	01.04.1958	31.03.2018
5.	श्री रविशंकर पुरोहित, सहा0 कार्यालय अधीक्षक	खण्ड मुख्य चिकि. अधिकारी, ओसिया, जोधपुर।	02.03.1958	31.03.2018
6.	श्री रमेश चन्द्र गौतम, सहा. कार्यालय अधीक्षक	संयुक्त निदेशक, जोन-कोटा।	01.07.1958	30.06.2018
7.	श्री अजय श्रीवास्तव, लिपिक ग्रेड-प्रथम	राजकीय सेटेलार्इट चिकित्सालय आदर्श नगर, अजमेर।	15.06.1958	30.06.2018
8.	श्री चन्द्र मोहन बैरागी, लिपिक ग्रेड-द्वितीय	संयुक्त निदेशक, जोन-कोटा।	01.09.1958	31.08.2018

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारियों के विरुद्ध :-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 04/0/17

क्रमांक :- ई-18/एम/(से.नि.-4124-1)/2017/1857

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-कोटा।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर/जोधपुर/उदयपुर
/भीलवाडा/बांसवाडा।
4. अधीक्षक, राजकीय सेटेलार्इट चिकित्सालय आदर्श नगर, अजमेर।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सराडा, उदयपुर/ओसिया, जोधपुर।
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पण्डेर,
भीलवाडा/छोटा डूंगरा, बांसवाडा।
7. सम्बन्धित कर्मचारी को सूचनार्थ।
8. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को
विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
9. आदेश/निजी पत्रावली।

उक्त कर्मचारियों के
विरुद्ध यदि आडिट
पेरा या अन्य कोई
वसूली बकाया हो तो
उसकी वसूली तत्काल
कर निदेशालय को
अवगत करावे।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर